कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

आकाशवाणीरोड, सेक्टरनं. 4गांधीनगर
:cdeo.chittorgarh.dse@rajasthan.gov.in ☎ 01472-247059

क्रमांक–मुजिशिअ/समसा/चित्तौड/2026/ **दिनांक– यथाहस्ताक्षर**

समस्त मुख्य ब्लॉकशिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा जिला–चित्तौड़गढ़।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F-17(10)Edu-1/Q-Edu-/2022–00494 –2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/ 2024–25528–5729091 दिनांकः 27.08.2026 राजकाज रेफरेंफ न0 24275528

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक चित्तौड़गढ़।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिलाशिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

आकाशवाणीरोड, सेक्टरनं. 4गांधीनगर

:cdeo.chittorgarh.dse@rajasthan.gov.in ☎ 01472-247059

क्रमांक–मुजिशिअ / समसा / चित्तौड / 2026 / **दिनांक– यथाहस्ताक्षर**

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494–2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में (**नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर**)पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क.सं.	पद का नाम	योग्यता
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089

M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

(2) रिक्तियां:

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन, अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पद पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रियाः—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय—सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं बंमिरू विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारणः—

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः—

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः—

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेयः—

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा—

क्र.सं.	प्द	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

(8) अन्य शर्तेंः—

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियो द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा—निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य /पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए जीम फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09. 2026 तक (दोपहर 12. 00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04. 00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉ मांगना।**	09.09.2026 से 10.09. 2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियॉ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार	11.09.2026 (सांय 06. 00 बजे तक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

	पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार करना।	
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 05. 00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11. 59 तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौड़गढ़ को देकर लेख है कि विद्यालयों में IFMS अनुसार प्राध्यापको (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध करावें।
6. समस्त पीईईओ को देकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आपके IFMS अनुसार प्राध्यापको (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मिलान उपरान्त की रिक्तियों की सूचना प्रकाशित करें।
7. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned with OKEN Scanner

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/12226/गैस्ट फैकल्टी/2021/127-130 दिनांकः 18/07/2022

संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– "विद्या संबल योजना" के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांकः 30.03.2021 व राज्य सरकार का पत्रांकः प.17(50) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 04.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 04.07.2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि. (समस्त) में **विद्या सम्बल योजना** के अन्तर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

01. विद्या सम्बल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते है, वे ही गैस्ट फेकल्टी के रूप मे लगाये जाने हेतु पात्र होंगे।

02. **पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता :–**
इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो।

निजी अभ्यर्थियों हेतु :–

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	प्रशैक्षिक अर्हता
1	व्याख्याता (जीव विज्ञान)	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड.
2	व्याख्याता (भौतिक/रसायन/गणित)	सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड.

Scanned with Oken Scanner
Scanned with OKEN Scanner

सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु :-

1. सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो ।

   नोट : अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी ।

2. सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।

3. **विद्या सम्बल योजना में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थियों के गैस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया:-**

1. इन गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन-प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त दो वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जायेगी। यदि दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में सम्बन्धित सीबीईओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से दो वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे।
2. संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किये जायेगें। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेण्डर निदेशालय से जारी होगा।
3. किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त अध्यापक यदि B.ED. उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल-II के लिए सबन्धित विषय अनुसार एवं यदि BSTC/D.ELE.ED. उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल-1 के लिये पात्र होंगे।
5. वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
6. समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
7. आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन-सूची जारी करने का कैलेण्डर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्यग्रहण करने आएंगे।
9. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गैस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जायेगा।
10. गैस्ट फैकल्टी पर सत्रान्त तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक पूर्णतः **अस्थाई तौर पर रखा** जाएगा।
11. गैस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 में वर्णित है।

Scanned with Oken Scanner

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–			फोटो
2.	पिता का नामः–			
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–			
4.	आवेदित पद का नामः–			
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–			
6.	जन्म तिथिः–			
7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष------ प्रतिशत---	संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–4
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–5
		2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–6
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता		वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई--

2.वर्तमान--
----

11. मोबाईल नम्बरः--

12.	जाति वर्ग-----------प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।	संलग्न–8
13.	अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन)	संलग्न–9
14.	आधार कार्ड की प्रति।	संलग्न–10
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र।	संलग्न–11
16.	चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त)	संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर

क्रमांकः. मुजिशिअ / डूंगरपुर / संस्था / 2026 / दिनांक. 29.08.2026

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जिला डूंगरपुर।

विषयः. माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शविद्या सम्बल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :—मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F-17 (10) Edu-1/Q-Edu-/2022-00494 -2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य / संस्था / एफ—1 ए / गेस्ट फेकल्टी / 12226 / 2024—25528—5729091 दिनाक 27.08.2026 राजकाज रेफरेफ न० 24275528 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर ''विद्या सम्बल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ''गेस्ट फैकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद **IFMS** में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण **आदर्श आचार संहिता** लागू है। अत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु** ही की जाये।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
डूंगरपुर

क्रमांकः. मुजिशिअ / डूंगरपुर / संस्था / 2026 / दिनांक. 29.08.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महो. माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महो. डूंगरपुर।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महो. स्कूल शिक्षा उदयपुर—सम्भाग, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक डूंगरपुर
6. समस्त पीईईओ एवं प्रधानाचार्य जिला डूंगरपुर को पालनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
डूंगरपुर

RajKaj Ref No.:
24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

क्रमांकः दिनांकः

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 एवं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य / संस्था/ एफ–1 ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिंनाक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टामानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः–(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026 से 31.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉं मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियॉं के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. संबंधित जिला कलक्टर डूंगरपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डूंगरपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला डूंगरपुर।
6. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

RajKaj Ref No.: 24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकलटी / 12226 / 2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति / आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति / आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, ...

क्रमांकः दिनांकः

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी:– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉं मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियॉं के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅंचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅंचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

नोट–कार्यक्रम एवं समय–सारणी Indicative है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, ...

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर ....।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, ...

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

फोटो

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष—————— प्रतिशत———	संलग्न–1
	2. उच्च माध्यमिक	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–2
	3. स्नातक	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–3
	4. अधिस्नातक	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–5
	2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष———————प्रतिशत———	संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई——
——
2.वर्तमान——
——

11. मोबाईल नम्बरः——

12. जाति वर्ग———————————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं <u>वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है</u> तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

RajKaj Ref No.: 24116683

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	**कक्षा**	**प्रति घंटा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	**प्रति घंटा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

<u>शपथ–पथ</u>

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा उदयपुर (राज.)

E-Mail:- cdeo.udaipur.dse@rajasthan.gov.in **Phone No. 0294—2415688**

क्रमांकः— मुजिशिअ / उदय / शै.प्र. / विसंयो / 2026 / 3352 दिनांकः—**यथा हस्ताक्षर**

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा, जिला — उदयपुर।

विषय — माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों मे ं प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर ''विद्या संबल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ''गेस्ट फैकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग — श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा—माध्य / संस्था / एफ—1ए / गेस्ट फैकल्टी / 12226 / 2024—25528—5729091 (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24275528) दिनाँक 27.08.2026 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयो ं में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर ''विद्या संबल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ''गेस्ट फैकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। उक्त क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता हैं कि अपने क्षेत्राधिकार मे ं (**नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर**) प्रदत्त नियमानुसार एवं निम्न समय—सारणी अनुसार प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉं मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)

6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, उदयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रार., उदयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त पीईईओ से समन्वय स्थापित करते हुए रिक्तियाँ तथा आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं जाँच का प्रबोधन करेंगे तथा नियमित रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।।
6. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य जिला– उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि पीईईओ विद्यालय स्तरीय समिति का गठन कर उक्त योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए रिक्तियों को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करावे। ।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, उदयपुर

RajKaj Ref No.: 24286285

Digitally signed by VEERANDERA SINGH YADAV
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:58:15 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा उदयपुर (राज.)

E-Mail:- cdeo.udaipur.dse@rajasthan.gov.in **Phone No. 0294—2415688**

क्रमांकः— मुजिशिअ/उदय/शै.प्र./विसंयो/2026/3351 दिनांकः—**यथा हस्ताक्षर**

सार्वजनिक सूचना

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 एवं श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा— माध्य/संस्था/एफ—1ए/गेस्ट फैकल्टी/12226/2024—25528— 5729091 (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24275528) दिनाँक 27.08.2026 के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में **(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)** पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए—

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम—2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः—

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियांः**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन—**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **<u>आवेदन प्रक्रिया–</u>**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) **<u>वरीयता का निर्धारण–</u>**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

<u>सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।</u> सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **<u>परिवेदना प्रस्तुत करनाः–</u>**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) **<u>विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–</u>**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) **<u>अन्य शर्तें–</u>**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, उदयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारं., उदयपुर ।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला– उदयपुर।
8. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य जिला– उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, उदयपुर

Digitally signed by VEERANDERA SINGH YADAV
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 15:19:32 IST

RajKaj Ref No.: 24286401

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः– ____________________
2. पिता का नामः– ____________________
3. आवेदित विद्यालय का नाम मय NIC:– ____________________
4. आवेदित पद का नाम मय विषयः– ____________________
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः– ____________________
6. जन्म तिथिः– ____________________
7. यदि आप सेवा निवृत कार्मिक है तो सेवा निवृति तिथि मय PPO No.:– ____________________

8.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–4
9.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–5
		2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–6
10.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–7

11. निवास का पताः– 1. स्थाई––
––
2.वर्तमान––
––

12. मोबाईल नम्बरः–––

13. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

14. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

15. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

16. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

17. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

18. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर</u>

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **<u>प्रथम चरण</u>** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **<u>प्रथम चरण</u>** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

RajKaj Ref No.:
24275528

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

पीडब्लूडी ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट के पास दूरभाष 01562—250915 Email - cdeochuru@gmail.com

क्रमांकः— मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/विधा संबल/चूरू/2026/ दिनांक :— यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकःमुजिशिअ/चूरू/ 2026—27/2959 दिनांक 29.08. 2026 के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों में प्राध्यापक विषय—विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैक्लटी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं समय सारण जारी की गई हैं। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नवीनतम आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024— 25528—5729091 एवं राजकाज नम्बर 24275528 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा जारी नवीमतम आदेशों की पालना में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राध्यापक पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएः—

क्रं.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम—2021 में संबंधित पद एवं विशय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः—

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः—

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नही किया जा रहा है।

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in** पर किया जाएगा।

(4) आवदेन प्रक्रियाः—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय—सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Digitally signed by SANTOSH KUMAR MAHARSHI
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-30 12:08:02 IST

RajKaj Ref No.: 24288517

v-1.0

(5) वरीयता का निर्धारण

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नही होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता कें कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः-

क्रं.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेयः-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्रं.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तेः-

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

V. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

VI. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

Digitally signed by SANTOSH KUMAR MAHARSHI
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-30 12:08:02 IST

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्रं. सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	02.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	11.09.2026 (सायं 04 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर. जारी करना।	12.09.2026 (दोपहर 02 बजे तक)
6.	**अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियॉं मॉगना।**	13.09.2026 से 14.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
7.	अभ्यर्थियों आपत्तियॉं के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	15.09.2026 (सायं 06 बजे तक)
8.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅंचाना	16.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
9.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅंचाना।	17.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
10.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	18.09.2026 (सायं 05 बजे तक)
11.	आदेश जारी करना	18.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(संतोष कुमार महर्षि)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

क्रमांकः– मुजिशिअ / समग्र शिक्षा / विधा संबल / चूरू / 2026 / दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर चूरू।
3. श्रीमान श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक चूरू।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–चूरू।
8. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त पी.ई.ई.ओ. / प्राचार्य जिला–चूरू।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

Digitally signed by SANTOSH KUMAR MAHARSHI
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-30 12:08:02 IST

RajKaj Ref No.: 24288517

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन
जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा
दूरदर्शन केन्द्र के पास, जालोर (राज.)

Email ID :- cdeodpcsmsajalore@gmail.com **Phone No. 02973-222271**

क्रमांक : मुजिशिअ / जालोर / संस्था / वि.सं.यो. / 2026 / **637** दिनांक : **यथाहस्ताक्षर**

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक :F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं. 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक : प. 6(2)वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "**विद्या सम्बल योजना**" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टि के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पद योग्यताएं, शर्त और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

(1) विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं –

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां :

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाए जाएगा।

(3) रिक्तियां का प्रकाशन –

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajastha.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया –

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वंय व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Manohar Lal Godara
Designation : Additional District Project Coordinator
Date: 2026.08.28 19:33:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285031
M e-Sign

(5) वरीयता का निर्धारण –

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणित योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना –

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी –

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा –

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें –

1. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं किए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
4. उक्त सेवाएं चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
5. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
6. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बनाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Manoher Lal Godara
Designation : Additional District Project Coordinator
Date: 2026.08.28 19:33:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285031
M e-Sign

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी – (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मांगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02:00 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(मनोहरलाल गोदारा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, जालोर

क्रमांक : मुजिशिअ/जालोर/संस्था/वि.सं.यो./2026/**638** दिनांक : **यथाहस्ताक्षर**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर जालोर।
5. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान् निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली–मण्डल पाली
9. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जालोर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला – जालोर।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पीईईओ/प्राचार्य जिला – जालोर।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Manoher Lal Godara
Designation : Additional District Project Coordinator
Date: 2026.08.28 19:33:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285031
M e-Sign

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड. / समकक्ष वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
   2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
    ––
    2.वर्तमान––
    ––
11. मोबाईल नम्बरः––
12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

आकाशवाणीरोड, सेक्टरनं. 4गांधीनगर

:cdeo.chittorgarh.dse@rajasthan.gov.in ☎ 01472-247059

क्रमांक–मुजिशिअ/समसा/चित्तौड/2026/ दिनांक– यथाहस्ताक्षर

समस्त मुख्य ब्लॉकशिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा जिला–चित्तौड़गढ़।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F-17(10)Edu-1/Q-Edu-/2022–00494 –2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/ 2024–25528–5729091 दिनांकः 27.08.2026 राजकाज रेफरेंफ न0 24275528

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक चित्तौड़गढ़।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिलाशिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

आकाशवाणीरोड, सेक्टरनं. 4गांधीनगर

:cdeo.chittorgarh.dse@rajasthan.gov.in ☎ 01472-247059

क्रमांक–मुजिशिअ / समसा / चित्तौड / 2026 / **दिनांक– यथाहस्ताक्षर**

<u>विज्ञप्ति</u>

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494–2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में (**नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर**)पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क.सं.	पद का नाम	योग्यता
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089

M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

(2) रिक्तियां:

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन, अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पद पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रियाः–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं बंमिरू विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारणः–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य / पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089

M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेयः—

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा—

क्र.सं.	प्द	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

(8) अन्य शर्तेंः—

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियो द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा—निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य /पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए जीम फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09. 2026 तक (दोपहर 12. 00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04. 00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉ मांगना।**	09.09.2026 से 10.09. 2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियॉ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार	11.09.2026 (सांय 06. 00 बजे तक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

	पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार करना।	
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 05. 00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11. 59 तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौड़गढ़ को देकर लेख है कि विद्यालयों में IFMS अनुसार प्राध्यापको (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध करावें।
6. समस्त पीईईओ को देकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आपके IFMS अनुसार प्राध्यापको (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मिलान उपरान्त की रिक्तियों की सूचना प्रकाशित करें।
7. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Dashora
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 21:25:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285089
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.:
24116683

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned with OKEN Scanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/12226/गैस्ट फैकल्टी/2021/127-130 दिनांकः 18/07/2022

संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– "विद्या संबल योजना" के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांकः 30.03.2021 व राज्य सरकार का पत्रांकः प.17(50) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 04.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 04.07.2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि. (समस्त) में **विद्या सम्बल योजना** के अन्तर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

01. विद्या सम्बल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते है, वे ही गैस्ट फेकल्टी के रूप मे लगाये जाने हेतु पात्र होंगे।

02. **पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता :–**
इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो।

निजी अभ्यर्थियों हेतु :–

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	प्रशैक्षिक अर्हता
1	व्याख्याता (जीव विज्ञान)	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड.
2	व्याख्याता (भौतिक/रसायन/गणित)	सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड़.

Scanned with Oken Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु :-

1. सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाने जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो ।

   नोट : अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी ।

2. सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।

3. **विद्या सम्बल योजना में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थियों के गैस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रियाः-**

1. इन गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन-प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त दो वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जायेगी। यदि दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में सम्बन्धित सीबीईओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से दो वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे।
2. संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किये जायेगें। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेण्डर निदेशालय से जारी होगा।
3. किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त अध्यापक यदि B.ED. उतीर्ण है तो अध्यापक लेवल-II के लिए सबन्धित विषय अनुसार एवं यदि BSTC/D.ELE.ED. उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल-1 के लिये पात्र होंगे।
5. वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
6. समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
7. आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन-सूची जारी करने का कैलेण्डर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्यग्रहण करने आएंगे।
9. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गैस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जायेगा।
10. गैस्ट फैकल्टी पर सत्रान्त तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक पूर्णतः **अस्थाई तौर पर रखा** जाएगा।
11. गैस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 में वर्णित है।

Scanned with Oken Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष------ प्रतिशत--- संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड./समकक्ष वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–5
   2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष-------प्रतिशत--- संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई--

    2.वर्तमान--
    ----
11. मोबाईल नम्बरः--
12. जाति वर्ग-----------प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झुन्झुनू

क्रमांकः 2349 दिनांकः 28-8-2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 एवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः–राजकाज रेफरेंस नं0 24275528 दिनांक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतःअस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षकगेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियांः**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाषन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) **वरीयता का निर्धारण–**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिषत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **परिवेदना प्रस्तुत करनाः–**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झुन्झुनू कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झुन्झुनू	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनू	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झुन्झुनू	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झुन्झुनू	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) **विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) **अन्य शर्तें–**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः–(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओविद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओविद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

(अशोक कुमार शर्मा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, झुन्झुनू

क्रमांकः–मुजिशिअ/झुं/संस्था./2026/2349

दिनांकः–28-8-2026

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चूरू।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर झुन्झुनू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा झुन्झुनू।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला झुंझुनू।
6. समस्त. पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, झुन्झुनू

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

फोटो

7. शैक्षणिक योग्यताः–
   1. माध्यमिक वर्ष------ प्रतिशत--- संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष--------प्रतिशत--- संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष--------प्रतिशत--- संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष--------प्रतिशत--- संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता
   1. बी.एड. / समकक्ष वर्ष--------प्रतिशत--- संलग्न–5
   2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष--------प्रतिशत--- संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष--------प्रतिशत---संलग्न–7

10. निवास का पताः–
   1. स्थाई--

   2.वर्तमान--
   ----

11. मोबाईल नम्बरः--

12. जाति वर्ग------------प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12व13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायीराजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियां)एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में षपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बॉसवाड़ा (राज.)

पता : नूतन विद्यालय पुराना परिसर, माही कॉलोनी के सामने बांसवाडा, ई–मेल :– cdeosmsabsw@gmail.com

क्रमांक : मु.जि.शि.अ. / समग्र शिक्षा / बांस. / संस्था. / 2026 / 1116 दिनांक :यथा हस्ताक्षर

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक समस्त जिला बांसवाडा।

विषय–: माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापको के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अर्न्तगत पात्र अभ्यर्थियो को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग –: श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022- 00494-2429645 जयपुर दिनांक 18.08.2026 एवं श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक :– शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्टफैकल्टी / 12226 / 2024–25528–5729091 दिनांक 27.08.2026 राजकाज रेफरेंस न. 24275528 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासगिक पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में बांसवाडा जिले के विद्यालयों में प्राध्यापको के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS 3.0 में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नही किया जा रहा है।

पीईईओ स्तर पर गठित चयन समिति में अधीनस्थ अन्य एमजीजीएस / राउमावि प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से पीईईओ स्तरीय चयन समिति में सम्मिलित किया जावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार सहिता लागू है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित विद्यालयों हेतु की जावें। संलग्न निर्धारित समय सारणी का पीईईओ स्तर पर अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचना में अंकित शर्तो की पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करते आवेदन पत्रो की अंतिम सूची एवं चयनित 03–03 अभ्यार्थियों का पैनल हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक वाहक स्तर पर जमा कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बॉसवाडा

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक / प्रारम्भिक बांसवाडा।
4. समस्त प्राचार्य / पीईईओं।
5. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बॉसवाडा

RajKaj Ref No.:
24286954

Digitally signed by PAWAN KUMAR RAWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 17:00:42 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बाँसवाड़ा (राज.)

पता : नूतन विद्यालय पुराना परिसर, माही कॉलोनी के सामने बांसवाडा, ई–मेल :– cdeosmsabsw@gmail.com

क्रमांक : मु.जि.शि.अ./समग्र शिक्षा/बांस./संस्था./2026/1115 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

–:: सार्वजनिक सूचना ::–

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं. 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03. 2021 एवं श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक :– शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फैकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के बांसवाडा जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यार्थियों को "गैस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए –

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :–

1. गेस्ट फैकन्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पत्र से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तिया –

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

RajKaj Ref No.: 24286954

Digitally signed by PAWAN KUMAR RAWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 17:00:42 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

(3) रिक्तियों का प्रकाशन :–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्रा व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण :–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नही होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरियता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जायेगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नही लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना :–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदन द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके नाम नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगे। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामिति/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

RajKaj Ref No.:
24286954

Digitally signed by PAWAN KUMAR RAWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 17:00:42 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय :–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानेदय निम्नानुसार दिया जाएगा।

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्ते :–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नही दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (30.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाएं चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर जी जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नही होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नही की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत शिक्षकों को उन्ही दिशा–निर्देशो के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रो के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर सार्वजनिक सूचना एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04.00 बजे तक)

RajKaj Ref No.: 24286954

Digitally signed by RAWAN KUMAR RAWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 17:00:42 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मांगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 02.00 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 04.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 05.00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 PM तक)

नोट –: वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार सहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित विद्यालयों हेतु की जावें।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बॉसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा।
5. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक बांसवाडा को भेजकर लेख है कि विद्यालयों में IFMS 3.0 के अनुसार प्राध्यापक (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों की सूचना तत्काल सार्वजनिक सूचना के रूप में उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. समस्त प्राचार्य/पीईईओं को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय में IFMS3.0 अनुसार प्राध्यापक (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिलान उपरान्त की रिक्तियों की सूचना प्रकाशित करें।
12. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बॉसवाड़ा

Digitally signed by RAWAN KUMAR RAWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 17:00:42 IST

RajKaj Ref No.: 24286954

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–		
2.	पिता का नामः–		
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–		
4.	आवेदित पद का नामः–		
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–		
6.	जन्म तिथिः–		

फोटो

7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष——— प्रतिशत———	संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–4
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–5
		2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–6
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता		वर्ष————प्रतिशत———	संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई————————————————————————

————————————————————————

2.वर्तमान————————————————————————

————————————————————————

11. मोबाईल नम्बरः————————————————————————

12.	जाति वर्ग——————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।	संलग्न–8
13.	अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन)	संलग्न–9
14.	आधार कार्ड की प्रति।	संलग्न–10
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र।	संलग्न–11
16.	चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त)	संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा मे प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मै इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

<u>कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झालावाड</u>

क्रमांक :– मुजिशिअ/सशि/झा/संस्था/2026/1646 दिनांक :–28.8.2026

<u>विज्ञप्ति</u>

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6 (2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021एंव श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था एफ–1ए/गेस्ट फेकेल्टी/12226/ 2024–25528–5729091 राजकाज रेफरेन्स नं.24275528 दिनांक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला झालावाड **के विद्यालयों <u>(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)</u> में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के <u>प्रथम चरण</u> के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-**

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए-

क्र.सं.	पद नाम	योग्यताः
1-	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः-

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

RajKaj Ref No.: 24285148

Digitally signed by RAMSINGH MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 07:22:11 IST

5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां:

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन-

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया-

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के **सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र,** समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य /पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण-

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य /पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। **सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।** सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

RajKaj Ref No.:
24285148

Digitally signed by
RAMSINGH MEENA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-29 07:22:11
IST
v-1.0

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	पद नाम	विवरण
1.	**मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी**	अध्यक्ष
2	**जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक**	सदस्य
3	**संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी**	सदस्य
4	**जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी**	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) <u>विदया सम्बल योजना के तहत मानदेय-</u>

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	**कक्षा:** 11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें-

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

RajKaj Ref No.:
24285148

Digitally signed by
RAMSINGH MEENA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-29 07:22:11
IST

v-1.0

iv. उक्त सेवाए चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य / पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः- (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं	विवरण	दिनांक
1	**पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन**	29.08.2026
2	**पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)**	**31-08-2026**
3	**अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि**	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	**प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)**	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	**पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	**अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना**	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)

RajKaj Ref No.:
24285148

Digitally signed by
RAMSINGH MEENA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-29 07:22:11
IST

7	**पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना**	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	**मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना**	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	**जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि**	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	**आदेश जारी करना**	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

संलग्नः— आवेदन पत्र प्रारूप ।

(रामसिंह मीणा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा झालावाड

क्रमांक :— मुजिशिअ / सशि / झा / संस्था / 2026 / 1646 दिनांक :—28.8.2026

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर ।**
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. **श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड**
4. **श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, झालावाड**
5. **श्रीमान** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा **कोटा**
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/**प्रारंभिक झालावाड** ।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी **जिला झालावाड** ।
8. समस्त पी.ई.ई.ओ /**प्राचार्य राजकीय विद्यालय जिला झालावाड**
9. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा झालावाड

RajKaj Ref No.:
24285148

Digitally signed by
RAMSINGH MEENA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-29 07:22:11
IST

v-1.0

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष—————— प्रतिशत——— संलग्न–1

   2. उच्च माध्यमिक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–2

   3. स्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–3

   4. अधिस्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड./समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–5

   2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई————————————————————————————————

    ————————————————————————————————

    2.वर्तमान————————————————————————————————

    ————————————————————————————————
11. मोबाईल नम्बरः——
12. जाति वर्ग———————————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री...........
....................विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा / करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार / विभाग / संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों / निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा / करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर

क्रमांकः. मुजिशिअ / डूंगरपुर / संस्था / 2026 / दिनांक. 29.08.2026

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जिला डूंगरपुर।

विषयः. माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शविद्या सम्बल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :—मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F-17 (10) Edu-1/Q-Edu-/2022-00494 -2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 एवं श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य / संस्था / एफ—1 ए / गेस्ट फेकल्टी / 12226 / 2024—25528—5729091 दिनाक 27.08.2026 राजकाज रेफरेफ न० 24275528 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर ''विद्या सम्बल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ''गेस्ट फैकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद **IFMS** में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण **आदर्श आचार संहिता** लागू है। अत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही केवल **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु** ही की जाये। संलग्न उपरोक्तानुसार।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
डूंगरपुर

क्रमांकः. मुजिशिअ / डूंगरपुर / संस्था / 2026 / दिनांक. 29.08.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महो. माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महो. डूंगरपुर।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महो. स्कूल शिक्षा उदयपुर—सम्भाग, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक डूंगरपुर
6. समस्त पीईईओ एवं प्रधानाचार्य जिला डूंगरपुर को पालनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
डूंगरपुर

RajKaj Ref No.:
24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

क्रमांकः दिनांकः

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 एवं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य / संस्था/ एफ–1 ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिंनाक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.: 24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

(5) <u>वरीयता का निर्धारण–</u>

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) <u>परिवेदना प्रस्तुत करना:–</u>

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) <u>विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–</u>

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टामानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) <u>अन्य शर्तें–</u>

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

RajKaj Ref No.: 24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः–(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026 से 31.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. संबंधित जिला कलक्टर डूंगरपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डूंगरपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला डूंगरपुर।
6. समस्त पी.ई.ई.ओ. / प्राचार्य................
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, डूंगरपुर

RajKaj Ref No.: 24286227

Digitally signed by NAVEEN CHANDRA MEENA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 14:47:20 IST

v-1.0

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, ...

क्रमांकः दिनांकः

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी:– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

नोट–कार्यक्रम एवं समय–सारणी Indicative है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, ...

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर .... ।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, ...

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष—————— प्रतिशत——— संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड. / समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–5
   2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई——————————————————————
    ——————————————————————
    2.वर्तमान——————————————————————
    ——————————————————————
11. मोबाईल नम्बरः——————————————————————————————
12. जाति वर्ग——————————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर

विद्यालयवार व्याख्याता (विषयवार) रिक्त पदों का विवरण दि. 29.08.2026

संबंधित पीईईओ द्वारा विद्यालय में संबंधित विषय में नामांकन होने , आई.एफ.एम.एस. पर पद स्वीकृत होने, रिक्त पद के विरूद्ध किसी अन्य का वेतन आहरित नहीं होने पर जारी रिक्त पदों की सूची ही अन्तिम रूप से उक्त योजना के लिए आवेदन हेतु मान्य होगी।

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
1	GORI.UPADHAYAY GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHILUDA (222995)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
2	GORI.UPADHAYAY GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHILUDA (222995)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
3	GORI.UPADHAYAY GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHILUDA (222995)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
4	GOVIND GURU GSSS BANSIYA BLOCK SIMALWADA DIST DUNGARPUR (223073)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
5	GOVIND GURU GSSS BANSIYA BLOCK SIMALWADA DIST DUNGARPUR (223073)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
6	GOVIND GURU GSSS BANSIYA BLOCK SIMALWADA DIST DUNGARPUR (223073)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
7	GOVIND GURU GSSS BANSIYA BLOCK SIMALWADA DIST DUNGARPUR (223073)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
8	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKORA (222456)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
9	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223663)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
10	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223663)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
11	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223663)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
12	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DAMRI (222395)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
13	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
14	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
15	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
16	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
17	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
18	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMAR SHAID NANA BHAI KHANT RASTAPAL (223680)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
19	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMBADA (223084)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMBADA (223084)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
21	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMRITIYA (222452)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
22	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANNPURA (226912)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
23	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASIYAVAV (224886)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
24	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
25	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
26	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
27	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
28	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
29	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
30	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
31	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
32	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPUR (222446)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
33	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BABA KI BAR (223710)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
34	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADGAMA (223085)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
35	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADOUDA (222473)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
36	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALWARA (223671)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
37	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKDA (223061)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
38	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKDA (223061)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
39	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARBODANIYA (223044)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
40	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARBODANIYA (223044)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
41	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAROTHI UPLI (223641)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
42	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BATKAFALA (224894)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
43	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAVDI (223082)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
44	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAVDI (223082)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
45	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEDA (222437)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
46	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEDA (222437)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
47	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEDSA (223072)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
48	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHACHADIYA (223685)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
49	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHADGA (225298)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
50	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHASOR (223006)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
51	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHASOR (223006)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
52	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHEKHARED (222977)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
53	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHESRA CHHOTA (223705)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
54	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHINDA (222433)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
55	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOJATO KA ODA (222404)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
56	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
57	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
58	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
59	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
60	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
61	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHIWARA (223664)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	2
62	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BILDI (222423)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
63	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODAMALI (223067)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
64	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODAMALI (223067)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
65	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODAMALI (223067)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
66	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODAMALI (223067)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
67	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODAMALI (223067)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
68	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODIGAMA BADA (222982)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
69	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BUCHIYA BADA (223013)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
70	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BUCHIYA BADA (223013)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
71	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARWARA (222379)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
72	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARWARA (222379)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
73	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARWARA (222379)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
74	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARWARA (222379)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
75	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
76	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
77	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
78	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
79	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
80	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
81	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
82	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	2
83	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
84	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
85	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
86	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
87	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIKHALI (223090)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	3
88	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHUNDAWARA (223652)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
89	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHUNDAWARA (223652)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
90	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAMDI (222394)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
91	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAMDI (222394)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
92	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIYATI (223070)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
93	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIYATI (223070)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
94	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANGOAN (223086)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
95	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANGOAN (223086)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
96	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHODHARA (223069)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
97	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHODHARA (223069)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
98	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIVDA BADA (223035)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
99	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOL KUNJELA (226906)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
100	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNGAR SARAN (223076)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
101	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNGAR SARAN (223076)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
102	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNGAR SARAN (223076)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
103	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNKA (223684)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
104	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNKA (223684)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
105	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNKA (223684)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
106	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADAMEDTIYA (223714)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
107	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADAMORAIYA (222415)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
108	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADAVATESHWAR (225308)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
109	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADIYA BHADAR (225437)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
110	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADIYA BHADAR (225437)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
111	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAINJI (222381)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
112	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAINJI (222381)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
113	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GALIYANA (222463)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
114	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMDI DEVKI (223007)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
115	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMDI SABLA (222482)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
116	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMDI SABLA (222482)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
117	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMRI AHARA (223633)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
118	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMRI AHARA (223633)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
119	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAMRI AHARA (223633)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	2
120	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHVAPAL (222383)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
121	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHATA KA GAON (223047)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
122	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHATA KA GAON (223047)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
123	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHUGHARA (223657)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
124	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHUVED NEW PARISAR NEAR BUS STATION GHUVED (223675)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
125	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOKULPURA (224905)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
126	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GORADA (224891)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
127	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GULABPURA (225349)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
128	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GULABPURA (225349)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
129	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HATHAI (222403)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
130	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HIRATA (222426)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
131	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASELA (223701)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
132	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASELA (223701)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
133	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASELA (223701)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
134	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASELA (223701)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
135	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JASELA (223701)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
136	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JELANA (224881)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
137	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JELANA (224881)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
138	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JELANA (224881)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
139	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETHANA (222993)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
140	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETHANA (222993)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
141	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETHANA (222993)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
142	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETHANA (222993)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
143	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAI (223682)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
144	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAI (223682)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
145	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAI (223682)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sociology	1
146	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAP (223694)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
147	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAP (223694)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
148	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHINJHWA (223642)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
149	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHONTHARIPAL (222430)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
150	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHONTHARIPAL (222430)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
151	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHONTHARIPAL (222430)	JHONTHARI	R	Lecturer of Special Education	---	1
152	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JORAWARA PURA (223065)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
153	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAHELA (223018)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
154	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAHELA (223018)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
155	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA (223645)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
156	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA (223645)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
157	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA (223645)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
158	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA (223645)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
159	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA (223645)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	2
160	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA PEETH (225302)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
161	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANBA PEETH (225302)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
162	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANKRADARA (222367)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
163	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANODIYA (222483)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
164	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANTHADI (222471)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
165	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KARADA (223002)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
166	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAROLI (223658)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
167	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KASARIYA (223709)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
168	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KATISOUR (222465)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
169	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KATISOUR (222465)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
170	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KATISOUR (222465)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
171	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESAR PURA (224901)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
172	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHAJURI (223666)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
173	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHAJURI (223666)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
174	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHAJURI (223666)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
175	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANAN (222484)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
176	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANAN (222484)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
177	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA ASPUR (222449)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
178	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA ASPUR (222449)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
179	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA KACHCHHAWASA (222413)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
180	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA KACHCHHAWASA (222413)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
181	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA KACHCHHAWASA (222413)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
182	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEMPUR (222405)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
183	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIRKHAIYA (223066)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
184	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHUMANPURA (224904)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
185	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOCHARI DAD (223716)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
186	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOCHARI DAD (223716)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
187	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOCHARI DAD (223716)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
188	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOKAPUR (223009)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
189	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOLKHANDA KHAS (222402)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
190	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAMBABHATRA (224895)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
191	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAMBABHATRA (224895)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
192	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LEMBATA (222488)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
193	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LIKHI BADI (223688)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
194	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LILWASA (222468)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
195	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LODAWAL (222972)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
196	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MADA (223632)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
197	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHUDI (222374)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
198	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHUDI (222374)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
199	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAITALI (222421)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
200	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALMATHA (223665)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALMATHA (223665)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
202	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALMATHA (223665)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
203	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALMATHA (223665)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
204	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAV (223017)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
205	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAV (223017)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
206	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAV (223017)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
207	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDELA UPLI (225293)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
208	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLI (223696)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
209	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLI (223696)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
210	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLI (223696)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
211	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLI (223696)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
212	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEVDA (223075)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
213	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEWARA (223670)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
214	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEWARA (223670)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Agriculture Stream)	1
215	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEWARA (223670)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
216	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEWARA (223670)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
217	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEWARA (223670)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
218	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MODAR (223659)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
219	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MODATIYA (225295)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
220	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MODATIYA (225295)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
221	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MYALA-A (222481)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
222	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAGARIYA PANCHELA (223676)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
223	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAI BASTI BADGAMA (223078)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
224	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDALI SAGORA (222976)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
225	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDLI AHARA (222975)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
226	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDLI AHARA (222975)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
227	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDLI AHARA (222975)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
228	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAVALSHYAM (223648)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
229	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NITHAUWA (222479)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
230	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NITHAUWA (222479)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
231	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NITHAUWA (222479)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
232	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NOKNA (223019)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
233	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
234	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
235	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
236	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
237	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
238	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	2
239	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
240	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OBRI (223041)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
241	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ODWADIYA (222412)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
242	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PACHALASA CHHOTA (222978)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
243	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PACHALASA CHHOTA (222978)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
244	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
245	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
246	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
247	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
248	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
249	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARA (223011)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
250	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADLI GUJRESHWAR (222428)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
251	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADWA (223005)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
252	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADWA (223005)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
253	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADWA (223005)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
254	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADWA (223005)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
255	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAL NITHAUWA (222480)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Sociology	1
256	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAL PADAR (223655)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
257	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALMANDAV (222399)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
258	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA ITIWAR (222988)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
259	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA ITIWAR (222988)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
260	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA ITIWAR (222988)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
261	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA ITIWAR (222988)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
262	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA MEHTA (223052)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
263	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA MEHTA (223052)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
264	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDA MEHTA (223052)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
265	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDATHOOR (222458)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
266	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDATHOOR (222458)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
267	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDATHOOR (222458)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
268	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PEETH (223677)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
269	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PINDAWAL (222985)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
270	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PINDAWAL (222985)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
271	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIPLADA DUNGARPUR (222417)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
272	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIPLAGUNJ (223042)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
273	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PIYOLA PANCHKUNDI (225305)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
274	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL POHARI KHATURAT (222432)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
275	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL POHARI KHATURAT (222432)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
276	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PUNAWARA (223063)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
277	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAINTA (222382)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
278	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
279	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
280	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
281	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
282	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
283	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH (222457)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
284	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSAGDA (225447)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
285	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSOUR JUNA (223062)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
286	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSOUR JUNA (223062)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
287	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSOUR JUNA (223062)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
288	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAYKI (222476)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
289	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RINCHHA (222486)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
290	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RINCHHA (222486)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
291	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADADIYA (223693)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
292	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADADIYA (223693)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
293	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADADIYA (223693)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
294	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKANI (222453)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
295	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKANI (222453)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
296	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKODARA BLOCK CHIKHLI DIST.DUNGARPUR (223081)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
297	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKODARA BLOCK CHIKHLI DIST.DUNGARPUR (223081)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
298	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKODARA BLOCK CHIKHLI DIST.DUNGARPUR (223081)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
299	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAMLIYA (223004)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
300	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAMLIYA (223004)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
301	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAMLIYA (223004)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
302	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANSARPUR (222429)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
303	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANSARPUR (222429)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
304	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANSARPUR (222429)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
305	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARODA (222994)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
306	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARODA (222994)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
307	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARODA (222994)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
308	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARODA (222994)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
309	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARTHOONA (223683)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
310	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAVGARH (224899)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
311	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SEMLIYA PANDYA (223029)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
312	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SENDOLA (223071)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
313	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SENDOLA (223071)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
314	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SENDOLA (223071)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
315	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SENDOLA (223071)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
316	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SENDOLA (223071)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
317	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHARAM (224888)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
318	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHARAM (224888)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
319	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHISHOD (223644)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
320	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHISHOT KHAS (225307)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
321	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHITHAL (223695)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
322	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SILOHI (223697)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
323	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOLAJ (222485)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
324	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURATA (222436)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	2
325	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURATA (222436)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
326	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURATA (222436)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
327	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALAIYA (223660)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
328	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALAIYA (223660)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
329	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALAIYA (223660)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
330	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALAIYA (223660)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
331	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAMTIYA NEAR PHC (223031)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
332	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAMTIYA NEAR PHC (223031)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
333	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TOKWASA (222474)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
334	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TOKWASA (222474)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
335	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UDADIYA (225306)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
336	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UPARGAON (224903)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
337	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UTIYA (224892)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
338	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VALAI (222489)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
339	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VALOTA DIST- DUNGARPUR (222393)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
340	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VANIYATALAB (224896)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
341	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VANIYATALAB (224896)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
342	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VARDA (222997)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
343	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VARDA (222997)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
344	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VARDA (222997)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
345	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VARDA (222997)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
346	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VARDA (222997)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
347	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VASSI (222409)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
348	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VASSI (222409)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Type Hindi & English)	1
349	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VASSI (222409)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
350	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VASSI (222409)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
351	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VENJA (222377)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
352	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
353	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
354	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
355	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	2

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
356	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
357	LATE SHREE REVASHANKER PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMBOLA (223673)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	2
358	LATE SHRI NATHURAM AHARI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAGHUNATHPURA (222438)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
359	LATE SHRI NATHURAM AHARI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAGHUNATHPURA (222438)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
360	LATE SHRI NATHURAM AHARI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAGHUNATHPURA (222438)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
361	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ANTRI (222389)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
362	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ANTRI (222389)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
363	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ANTRI (222389)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
364	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ANTRI (222389)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	2
365	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ASPUR (222447)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
366	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ASPUR (222447)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
367	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ASPUR (222447)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
368	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ASPUR (222447)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
369	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
370	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
371	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
372	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
373	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
374	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BHILUDA (222996)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
375	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DERIYAFALA (502336)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
376	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DERIYAFALA (502336)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
377	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DERIYAFALA (502336)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
378	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DERIYAFALA (502336)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
379	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DEVALKHAS (223637)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
380	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DEVALKHAS (223637)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
381	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DHUNDHARIYA (223064)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
382	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DHUNDHARIYA (223064)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
383	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL FALOJ (222408)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
384	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JETHANA (503650)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
385	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JETHANA (503650)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
386	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JETHANA (503650)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
387	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JETHANA (503650)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
388	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
389	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
390	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
391	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
392	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
393	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHADAGADA (222999)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
394	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NANDOUD (223025)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
395	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NANDOUD (223025)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
396	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL OBRI (223039)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
397	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL OBRI (223039)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
398	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL OBRI (223039)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
399	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL OBRI (223039)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
400	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PADWA (483458)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
401	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PADWA (483458)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
402	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PADWA (483458)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
403	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PADWA (483458)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
404	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PALVADA (223638)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
405	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PEETH (223678)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
406	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PEETH (223678)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
407	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PEETH (223678)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
408	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PEETH (223678)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
409	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SARODA (484301)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
410	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SARODA (484301)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
411	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SARODA (484301)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
412	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SARODA (484301)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
413	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SEMALIYA GHATA (223048)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
414	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SEMALIYA GHATA (223048)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
415	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	2
416	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
417	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	2
418	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
419	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
420	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKODA (222455)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
421	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
422	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
423	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
424	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
425	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
426	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITRI (223699)	GALIYAKOT	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	2
427	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOLWAR KAHARI (222392)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
428	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOLWAR KAHARI (222392)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
429	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GALANDAR (223634)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
430	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GALANDAR (223634)	GAMDI AHARA	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	1
431	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNWA (223079)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	2
432	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNWA (223079)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Geography	3

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
433	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNWA (223079)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
434	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNWA (223079)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
435	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNWA (223079)	CHIKHALI	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	3
436	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
437	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
438	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1
439	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
440	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
441	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADARDI BADI (222990)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
442	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA (223656)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
443	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA (223656)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
444	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA (223656)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
445	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA (223656)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	History	1
446	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VIKASNAGAR (222373)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
447	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
448	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
449	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
450	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
451	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1
452	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
453	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
454	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
455	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
456	PM SHRI SAINT MAVJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABLA DUNGARPUR (222987)	SABLA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
457	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	3
458	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
459	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
460	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1
461	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
462	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1
463	PM SHRI SHRI MANILAL PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIMALWARA DIST DUNGARPUR (223690)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
464	SHAHID KALIYA MANAT GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAL DEWAL (223639)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1
465	SHAHID KALIYA MANAT GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAL DEWAL (223639)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
466	SHREE BHANJI BHAI PATEL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FALOJ (222407)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1
467	SHREE BHANJI BHAI PATEL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FALOJ (222407)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1
468	SHREE KARUNA SHANKAR PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PUNJPUR (222466)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1
469	SHREE KARUNA SHANKAR PANDYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PUNJPUR (222466)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1
470	SHRI CHANDULAL GUPTA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOKHLA PAL (223654)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
471	SHRI CHANDULAL GUPTA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOKHLA PAL (223654)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	2
472	SHRI CHANDULAL GUPTA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOKHLA PAL (223654)	PALDEVAL	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	2

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
473	SUKHDEV BHAI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PUNALI (222396)	DOVDA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
474	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ASPUR, DUNGARPUR (222450)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
475	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ASPUR, DUNGARPUR (222450)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
476	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ASPUR, DUNGARPUR (222450)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Informatics Practice	1
477	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, ASPUR, DUNGARPUR (222450)	ASPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
478	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BICCHIWARA, DUNGARPUR (225398)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
479	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BICCHIWARA, DUNGARPUR (225398)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Informatics Practice	1
480	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BICCHIWARA, DUNGARPUR (225398)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1
481	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, BICCHIWARA, DUNGARPUR (225398)	BICCHIWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
482	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, DUNGARPUR, DUNGARPUR (222416)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
483	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, DUNGARPUR, DUNGARPUR (222416)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Informatics Practice	1
484	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, DUNGARPUR, DUNGARPUR (222416)	DUNGARPUR	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
485	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SAGWARA, DUNGARPUR (223001)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
486	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SAGWARA, DUNGARPUR (223001)	SAGWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Informatics Practice	1
487	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SIMALWARA, DUNGARPUR (223692)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1
488	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SIMALWARA, DUNGARPUR (223692)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1
489	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SIMALWARA, DUNGARPUR (223692)	SIMALWARA	R	Lecturer (I Gr.)	Informatics Practice	1
490	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1
491	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1
492	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1

S.No.	school_name	Block	Is_Rural	Post_Title_new	Subject	vacant
493	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1
494	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	2
495	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1
496	SWATANTRATA SENANI SWARGIYA SHRI DHULJI BHAI VERMA GSSS KARAWARA (222385)	JHONTHARI	R	Lecturer (I Gr.)	Political Science	2
					Total	521

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, राजसमन्द

क्रमांकः–मुजिशिअ/राजस/संस्थापन/विद्या सबल/2026–27/ दिनांकः यथा हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.:
24285618

Digitally signed by NUTAN PRAKASH JOSHI
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-29 12:37:00 IST

v-1.0

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिषत व प्रषैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिषत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

RajKaj Ref No.:
24285618

Digitally signed by NUTAN PRAKASH JOSHI
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-29 12:37:00 IST

v-1.0

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, राजसमन्द

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर राजसमन्द।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य, राजसमन्द
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, राजसमन्द

Digitally Signed by PRAKASH JOSHI
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-29 12:37:00 IST

RajKaj Ref No.: 24285618

v-1.0

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

फोटो

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नाम मय विषयः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष------ प्रतिशत---	संलग्न–1
	2. उच्च माध्यमिक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–2
	3. स्नातक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–3
	4. अधिस्नातक	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–5
	2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष-------प्रतिशत---	संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई---------------------------------------
----
2.वर्तमान---------------------------------------
----

11. मोबाईल नम्बरः---

12. जाति वर्ग----------प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. सेवानिवृत कार्मिक है तो PPO व सेवानिवृति आदेश मय विषय संलग्न–14

18. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाडमेर

क्रमांकः–मुजिशिअ / समग्र शिक्षा / बाडमेर / संस्था / 2026 दिनांकः–28.08.2026

–:विज्ञप्तिः–

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 व श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकल्टी / 12226 / 2024–25528–5729091 राजकाल रेफ. 24275528 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 मे संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां–

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य /पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य

/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः—

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः—

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय—

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा—

क्र.स.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रूपये	30,000/—

(8) अन्य शर्तें—

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा—निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02:00 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026
10	आदेश जारी करना	15.09.2026

(कृष्ण सिंह महेचा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बाडमेर

क्रमांकः–मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/बाडमेर/संस्था/2026 दिनांकः–28.08.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर
5. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बाडमेर
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. ....(समस्त) जिला–बाडमेर
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बाडमेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांकः मुजिशिअ/गंगा/2026–27/राजकाज दिनांकःयथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकःमुजिशिअ/गंगा/2026–27/798 दिनांक 25.08.2026 के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों में विषय–विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रुप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं समय सारण जारी की गई थी। श्रीमन निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नवीनतम आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024– 25528–5729091 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा जारी नवीमतम आदेशों की पालना में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियां:**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by A...der Singh
Designation : Addit...al District
Project Coord...
Date: 2026.08.2... 0:31:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284422

M e-Sign

(5) <u>वरीयता का निर्धारण–</u>

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

<u>सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।</u> सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) <u>परिवेदना प्रस्तुत करनाः–</u>

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) <u>विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–</u>

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) <u>अन्य शर्तें–</u>

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by A[illegible]der Singh
Designation : Addit[illegible]al District
Project Coord[illegible]
Date: 2026.08.2[illegible]0:31:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284422

M e-Sign

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026 पूर्व के आदेशानुसार यथावत
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

(अरविन्द्र सिंह)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांकः मुजिशिअ/गंगा/2026–27/राजकाज दिनांकःयथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
2. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक श्रीगंगानगर।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–श्रीगंगानगर।
8. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य जिला–श्रीगंगानगर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, श्रीगंगानगर

Signature valid

Digitally signed by A[illegible]der Singh
Designation : Addit[illegible]al District
Project Coord[illegible]
Date: 2026.08.2[illegible]0:31:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24284422
M e-Sign

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा (राज.)

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

क्रमांक–मुजिशिअ / सशि / को / संस्था–1 / विद्या संबल योजना / 2026 / 558 दिनांक– यथाहस्ताक्षर

–:: विज्ञप्ति ::–

''विद्या सम्बल योजना''

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30. 03.2021 एवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकल्टी / 12226 / 2024–25528–5729091 राजकाज रेफ. 24275528 दिनांक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला कोटा के विद्यालयों **(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)** में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाऐ जाने वाले पद एवं योग्यताऐं–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां–

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। सम्बन्धित PEEO/प्राचार्य द्वारा गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त **पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।**

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान,CBEO कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़ कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा **कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा में सात दिवस में** प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
01	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा	अध्यक्ष
02	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा	सदस्य
03	सम्बन्धित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
04	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर, कोटा	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को जिला कलक्टर कोटा अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर कोटा अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्तशिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ माँगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

नोटः– वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा

कमांक–मुजिशिअ/सशि/को/संस्था–1/विद्या संबल योजना/2026/558 दिनांक– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, जिला कोटा।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, कोटा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला कोटा।
11. **पीईईओ /प्राचार्य समस्त राजकीय विद्यालय जिला कोटा।**
12. कार्यालय प्रति।

Digitally signed by ANIL PORWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-28 20:53:42 IST
v-1.0

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष—————— प्रतिशत——— संलग्न–1
 2. उच्च माध्यमिक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–2
 3. स्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–3
 4. अधिस्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड. / समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–5
 2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई————————————————————————————
————————————————————————————
2.वर्तमान————————————————————————————
————————————————————————————

11. मोबाईल नम्बरः————————————————————————————————

12. जाति वर्ग——————————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं <u>वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है</u> तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–।।।	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–।।	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–।	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अजमेर

क्रमांक :— मुजिशिअ / अज / सस्थापन / 2026—27 / 1050 दिनांक 29.08.2026

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला—अजमेर।

विषयः— माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ' गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णत अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में ।

प्रसंगः— श्रीमान मुख्य सचिव महोदय का पत्र कमांक F.17(10)edu-1/q.edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेन्स नम्बर 24116683) दिनाक 18.8.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सावि लेनि / 2021 जयपुर दिनांक 30.3.2021, श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कमांक शिविरा—माध्य / सस्था / एफ—1ए / गैस्ट फैकल्टी / 12226 / 2024—25528—5729091 दिनांक 27.8.2026

उपरोक्त विषयान्र्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर 'विद्या सम्बल योजना के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को ' गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है गेस्ट की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है ।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति / आदेश जारी किया गया है , तो उक्त विज्ञप्ति /आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित कराये ।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है । अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जायें ।

संतान — उपरोक्तानुसार

(प्रेम चन्द अजमेरा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अजमेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित—

1. श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर
2. श्रीमान सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर सभाग अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अजमेर
4. रक्षित पत्रावली

(प्रेम चन्द अजमेरा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अजमेर

RajKaj Ref No.: 24285501
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Prem Chand Ajmera
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Approved

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर

क्रमांक–1050

दिनांक–29.08.2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F-17(10)Edu–1/Q-Edu./2022–00494–2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं ० 24116683) दिनांक18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)विभाग के परिपत्र क्रमांक : प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श चुनाव संहिता लागू है उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विद्यालयों हेतु ही की जावें। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम –2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी ।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे ।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो ।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी ।

(2) रिक्तियां :

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा ।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

Signature valid

Digitally signed by Prem Chand Ajmera
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24285501

M e-Sign

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईटhttps%@@education-rajasthan-gov-पद पर किया जाएगा ।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, रखते हों , निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे ।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पद हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन समित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा । वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा । **सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा**।

सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी । जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत् अंतिम होगा ।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी, को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

Signature valid
Digitally signed by Prem Chand Ajmera
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285501
M e-Sign

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू	30000 रू

(8) अन्य शर्तें–

1. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे ।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा ।
3. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा ।
4. उक्त सेवाएं चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी ।
5. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा – निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
6. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। भी निम्न कार्यकुशलता, दुरावरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा ।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा(1.पीईईओ/प्रधानाचार्य 2. दो वरिष्ठ व्याख्यता) आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एव अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ माँगना ।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर02 बजे तक)

Signature valid

Digitally signed by Prem Chand Ajmera
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24285501

M e-Sign

6.	अभ्यर्थियों आपतियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर , स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना ।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर12:00बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 6:00बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि11:59PM तक)

(प्रेम चन्द अजमेरा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अजमेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. विशिष्ट सहायक , माननीय शिक्षा मंत्री , राजस्थान सरकार , जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त , राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् , जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर ।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक अजमेर
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अजमेर
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ. / प्राचार्य ....
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.: 24285501
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Prem Chand Ajmera
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.29 12:04:01 IST
Reason: Approved

राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा करौली (राज0)

E-mail Id:- chiefdeokarauli@gmail.com & cdeo.karauli.dse@rajasthan.gov.in

क्रमांक– मु.जि.शि.अ. / करौली / 2026 / 983 दिनांकः– 29.08.2026

–ःविज्ञप्तिः–

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रैंफरैस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभागे के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के कम मे माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों मे शिक्षको के रिक्त पदों पर ''विद्या संबल योजना'' के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाना है । उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षको के पद ,योग्यताऐं / शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. (विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए) –

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम –2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उसके आवेदित पद की न्युनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषय को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः–

विद्या संबल योजना योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः–

विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन /अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड ,क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान ,जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जायेगा।

(4) आवेदन की प्रकिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत शिक्षक /निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों , निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र ,समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय –सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित हो कर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण :–

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरांत विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य /पीईईओ द्वारा किया जाएगा । वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी–

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित /अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी ।जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित /अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चिय इस बाबत् अंतिम होगा।

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानेदयः–

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.स.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

Scanned with OKEN Scanner

(8) अन्य शर्ते–

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य /पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होगें।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरियता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो , तक के लिए पूर्णतया अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों /सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा , जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य /पीईईओ द्वारा किया जाएगा । न्यून कार्यकुशलता ,दुराचरण , अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य /पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा ।

(8) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्र के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026 (प्रातः 10:30 बजे तक)
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 (प्रातः 10:30 बजे से) – 07.09.2026 (दोपहर 01:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉ मॉगना ।	09.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपतियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर ,स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना ।	14.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	15.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालया द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	16.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन– सूची अनुमोदन तिथि	17.09.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	18.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नः— आवेदन पत्र का प्रारूप

(सर्वेश कुमार गुप्ता)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,करौली

क्रमांक— मु.जि.शि.अ./करौली/2026/983
दिनांकः— 28.08.2026

प्रतिलिपि—

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय शिक्ष मंत्री ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव ,अतिरिक्त मुख्य सचिव ,स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग , राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली ।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त , राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
6. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण /कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा विभाग भरतपुर ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक करौली ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला करौली।
11. समस्त पीईईओ /प्राचार्य जिला करौली
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,करौली

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–		
2.	पिता का नामः–		
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–		
4.	आवेदित पद का नाम मय विषयः–		
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–		
6.	जन्म तिथिः–		
7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–4
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
		2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–6
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–7
10.	निवास का पताः–	1. स्थाई––––––––––––––––––––––––––––––––	
		2.वर्तमान–––––––––––––––––––––––––––––––	
11.	मोबाईल नम्बरः––––––––––––––––––––––––––––––––––––––		
12.	जाति वर्ग–––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।		संलग्न–8
13.	अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन)		संलग्न–9
14.	आधार कार्ड की प्रति।		संलग्न–10
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र।		संलग्न–11
16.	चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त)		संलग्न–12 व 13
17.	सेवानिवृत कार्मिक है तो PPO व सेवानिवृति आदेश मय विषय		संलग्न–14

फोटो

18. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली

पता : मण्डिया रोड़, पाली दूरभाष नम्बर : 02932-250250 ईमेल : cdeopali@gmail.com

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

क्रमाक : मुजिशिअ / पाली / संस्था / 2026 / 634

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 632 दिनांक 25.08.2026 एवं समसंख्यक पत्रांक 633 दिनांक 27.08.2025 को प्रत्यारित करते हुए श्रीमान् निदेशक महोदय राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/1226/2026–255528–5729091 राजकाज रेफरेन्स नम्बर 24275528 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा प्राप्त नवीन निर्देशाानुसार राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F-17(10)Edu-1/Q-Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं. 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए :–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :

1 गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।

3 सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।

4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

5 भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां :–

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन :–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Deva Ram
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284668

M e-Sign

(5) वरीयता का निर्धारण :–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :–

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय :–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा :–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1.	01 प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें :–

i- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii- गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv- उक्त सेवाए चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v- गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

Signature valid

Digitally signed by Deva Ram
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24284668
M e-Sign

vi- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04 :00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ माँगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

(देवाराम)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा पाली

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर पाली।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला पाली।
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य।
13. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा पाली

Signature valid
Digitally signed by Deva Ram
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 15:17:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284668
M e-Sign

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक:शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

आवेदन का प्रारूप

	फोटो

1. आवेदक का नाम:–
2. पिता का नाम:–
3. आवेदित विद्यालय का नाम:–
4. आवेदित पद का नाम:–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:–
6. जन्म तिथि:–

7. शैक्षणिक योग्यता:–	1. माध्यमिक	वर्ष——— प्रतिशत——	संलग्न–1
	2. उच्च माध्यमिक	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–2
	3. स्नातक	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–3
	4. अधिस्नातक	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–5
	2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष———प्रतिशत——	संलग्न–7

10. निवास का पता:– 1. स्थाई————————————————
————————————————
2.वर्तमान————————————————
————————————————

11. मोबाईल नम्बर:————————————————

12. जाति वर्ग————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों का गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Document certified by VORUGANTI SRINIVAS <csraj@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने................................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2021/79-83 दिनांक – 17/02/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

विषय :– "विद्या संबल योजना" लागू किये जाने सम्बन्धी बजट घोषणा संख्या 54.0.54 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक प.17(23)शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 30/06/2021 एवं प.17(50)शिक्षा–2/2021 दिनांक 24/01/22

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 में की गई बजट घोषणा संख्या 54.0.05 "राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जावेगी की क्रियान्विति हेतु वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30/03/2021 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

विभाग में शिक्षण कार्यो में शिक्षकों/प्रशिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय पर सम्बन्धित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को एतद् द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते है:–

1. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी।
2. सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले **सेवानिवृत कार्मिक** को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3 गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें:–

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान

पद(अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/
शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक	–	300/–	21000/
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

4. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
5. ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार एवं विद्यालयवार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकंलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगें।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गैस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित कर संवर्ग वार रिक्त पदों के अनुरूप सेवा निवृत कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु

ह/

सूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगें एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को संवर्गवार संकलित कर व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को, वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
8. संस्था प्रधान द्वारा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। गैस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाने वाले कार्मिकों को भुगतान सम्बन्धित विद्यालय में 01–संवेतन उपमद में उपलब्ध रिक्त पद के बजट प्रावधान से किया जावेगा।
9. आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें।
10. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरियता आवेदक द्वारा प्रस्तुत गत 2 वर्षो के परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृत न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
3. ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
4. सम्बन्धित पीईईओ/युसीईईओ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

सूचना प्रारूप

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिक के आवेदन के कम में

नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिकों से आवेदन पत्र वांछित रिक्त पदों हेतु आमंत्रित किये जा रहे है:–

1. इच्छुक आवेदक रिक्त पदों अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पृथक–पृथक (पदवार/विद्यालयवार) आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन हेतु सत्रांत समाप्ति की तिथि की गणना अनुसार 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होंगे।
3. आवेदन हेतु संवर्गवार/विद्यालयवार जिले में रिक्त पदों का विवरण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।
4. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आवेदन हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निर्धारित मापदण्ड की योग्यता वाले प्रार्थी ही आवेदन कर सकेगें।
5. आवेदन हेतु अन्तिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 05 दिवस तक रहेगी।
6. आवेदन सम्बन्धित विद्यालय में ही प्रस्तुत किया जावेगा।
7. अन्तिम तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. आवेदक द्वारा जिस पद हेतु संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने है:–

   (अ) निर्धारित आवेदन पत्र
   (ब) निर्धारित शपथ पत्र
   (स) सेवानिवृति के पूर्व के दो वर्षो के परीक्षा परीणाम की प्रमाणित प्रति
   (द) आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/जय/शै.प्रकोष्ठ/फा–विद्या सम्बल योजना/2026 दिनांकः

:: विज्ञप्ति ::

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः 27.08.2026 (राजकाज क्रमांक 24275528), श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज पत्र क्रमांकः 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/सा.विले.नि/2021 जयपुर दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों (IFMS पर रिक्त पद) पर ''विद्या संबल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यार्थियों को ''गेस्ट फेकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना हैं।

उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. **विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएं –**

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :

1. गेस्ट फेकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेगें।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगें, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होगें।
5. भाषा विषयों को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

2. **रिक्तियों –**

   विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

3. **रिक्तियों का प्रकाशन –**

   विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

4. **आवेदन प्रक्रिया –**

   किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अन्तिम तिथि तक विद्यालय समय

RajKaj Ref No.: 24285383

में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

5. **वरियता का निर्धारण –**
विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी लगाए जाने हतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरियता सूची का प्रकाशन संबंधित प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरियता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा। **सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरियता में उपर रखा जाएगा।** सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नही होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरियता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी के उपर रखा जाएगा। गेस्ट फेकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नही लिया जाएगा।

6. **परिवेदना प्रस्तुत करना –**
पात्रता अथवा वरियता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदन द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदन समिति निम्नानुसार होगी –

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपीन अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर को अन्तिम निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेगी।
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अन्तिम होगा।

7. **विद्या संबल योजना के तहत मानदेय –**
विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फेकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा –

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

8. **अन्य शर्ते –**

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होगें।

II. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फेकल्टी के रूप में संत्रात (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाएं चुंकि गेस्ट फेकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं। अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फेकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नही होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नही की जा सकेगी।

V. गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्ही दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।

VI. गेस्ट फेकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

9. कार्यक्रम एवं समय–सारणी – (नगर निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04.00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरियता सूची में आपत्तियॉ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02.00 बजे तक
6.	अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अन्तिम एवं स्थाई वरियता सूची जारी कर, स्थाई वरियता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	11.09.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 05.00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 बजे तक)

(मुकुल कविया)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/जय/शै.प्रकोष्ठ/फा–विद्या सम्बल योजना/2026 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक, जयपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला जयपुर।
6. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान ....
7. कार्यालय प्रति

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जयपुर

RajKaj Ref No.: 24285383

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा दौसा

क्रमांक : मुजिशिअ/सशि/फा– विद्या सम्बलन (गेस्ट फैकल्टी)/दौसा/2026/ दिनांक यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091ई–हस्ताक्षरित दिनांक 27.08.2026 राजकाज संदर्भ संख्या 24275528 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. . सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप मे लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मे अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप मे विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क.स.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03—03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, दौसा

क्रमांक : मुजिशिअ/सशि/फा— विद्या सम्बलन (गेस्ट फैकल्टी)/दौसा/2026/ दिनांक यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर दौसा.।
5. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान् शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप—2)विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दौसा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला दौसा।
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, दौसा

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–			फोटो
2.	पिता का नामः–			
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–			
4.	आवेदित पद का नामः–			
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–			
6.	जन्म तिथिः–			
7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष––––– प्रतिशत––– संलग्न–1	
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–2	
		3. स्नातक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–3	
		4. अधिस्नातक	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–4	
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–5	
		2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–6	
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–7	

10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
––
2.वर्तमान––
––

11. मोबाईल नम्बरः–––

12.	जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।	संलग्न–8
13.	अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन)	संलग्न–9
14.	आधार कार्ड की प्रति।	संलग्न–10
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र।	संलग्न–11
16.	चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त)	संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सवाई माधोपुर

क्रमांकःमुजिशिअ / समा / संस्था / विसंयो / 2026 / **दिनांकः–**

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथावित्त (सामान्य वित्तीय एवंलेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्टफैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1ए	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियांः**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिसबोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईटी ttps://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखत`हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भराहुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.:
24285877
M e-Sign

(5) **वरीयता का निर्धारण–**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **परिवेदना प्रस्तुत करनाः–**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) **विद्यासम्बल योजना के तहतमानदेय–**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टामानदेय**	**अधिकतममासिकमानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) **अन्य शर्तें–**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्नकार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः—(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयोंको छोडकर)**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉचकर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03—03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 10:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	13.09.2026 (प्रातः 12.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(देवी लाल मीना)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,सवाई माधोपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/समा/संस्था/विसंयो/2026/ **दिनांकः**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप—2)विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर ।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा सवाई माधोपुर ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिलास वाई माधोपुर ।
12. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य................
14. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सवाई माधोपुर

RajKaj Ref No.: 24285877

M e-Sign

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–		फोटो
2.	पिता का नामः–		
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–		
4.	आवेदित पद का नामः–		
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–		
6.	जन्म तिथिः–		
7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष–––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–4
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
		2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–6
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता		वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–7
10.	निवास का पताः–	1. स्थाई–– –––	
		2.वर्तमान––– –––	
11.	मोबाईल नम्बरः–––		
12.	जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।		संलग्न–8
13.	अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन)		संलग्न–9
14.	आधार कार्ड की प्रति।		संलग्न–10
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र।		संलग्न–11
16.	चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त)		संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं <u>वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है</u> तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अलवर

विद्या संबल योजना हेतु व्याख्याता के विषयवार रिक्त पदो की सूचना

क0सं0	जिला	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम / वार्ड	विद्यालय	पद	विषय	रिक्त पद	विशेष विवरण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	17
1	ALWAR	THANAGAZI	PRATAP GARH	PRATAPGARH	BAISIWALA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARTAPGARH (216390)(08061002318)	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1	
2	ALWAR	THANAGAZI	PRATAP GARH	PRATAPGARH	BAISIWALA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARTAPGARH (216390)(08061002318)	Lecturer (I Gr.)	Chemistry (Science Stream)	1	
3	ALWAR	THANAGAZI	PRATAP GARH	PRATAPGARH	BAISIWALA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARTAPGARH (216390)(08061002318)	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1	
4	ALWAR	THANAGAZI	PRATAP GARH	PRATAPGARH	BAISIWALA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARTAPGARH (216390)(08061002318)	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1	
5	ALWAR	KATHUMAR	KATHUMAR	KATHUMAR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KATHUMAR (216579)(08061400143)	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1	
6	ALWAR	KATHUMAR	KATHUMAR	KATHUMAR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KATHUMAR (216579)(08061400143)	Lecturer (I Gr.)	Home Science	1	
7	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA ROAD RAINI ALWAR (216478)(08061200102)	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1	
8	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA ROAD RAINI ALWAR (216478)(08061200102)	Lecturer (I Gr.)	Home Science	1	
9	ALWAR	RAINI	RAMPURA	AAKODA SIKKA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AAKODA SIKKA (216482)(08061200601)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
10	ALWAR	BHANOKHAR	ADOLI	ADOLI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ADOLI (211648)(08061413701)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
11	ALWAR	THANAGAZI	AAGAR	AGAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AGAR (216392)(08061003101)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
12	ALWAR	THANAGAZI	AJABGARH	AJABGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AJABGARH (216430)(08061012901)	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1	
13	ALWAR	UMRAIN	AKBARPUR	AKBARPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AKBARPUR (215679)(08060801301)	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1	
14	ALWAR	RAMGARH	BAGAR RAJPUT	BAGAR RAJPUT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGAR RAJPUT (215649)(08060710401)	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1	
15	ALWAR	RAMGARH	BAGAR RAJPUT	BAGAR RAJPUT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGAR RAJPUT (215649)(08060710401)	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1	
16	ALWAR	RAINI	BARER	BARER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAIRER (216496)(08061204601)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
17	ALWAR	THANAGAZI	BAMANWAS CHOUGAN	BAMANWAS CHOGAN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAMANWAS CHOGAN (216422)(08061010401)	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1	
18	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	BERLA	BERLA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARABHADKOL (216522)(08061300907)	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1	

क0सं0	जिला	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम / वार्ड	विद्यालय	पद	विषय	रिक्त पद	विशेष विवरण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	17
19	ALWAR	RAINI	BHAJEDA	BHAJEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAJEDA (216484)(08061200904)	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1	
20	ALWAR	THANAGAZI	BHUDIA WAS	BHUDIA WAS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHUDIAWAS (216403)(08061005201)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
21	ALWAR	RAJGARH	KHOH DARIBA	KHOH DARIBA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIBA PROJECT DIST ALWAR (216434)(08061100115)	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1	
22	ALWAR	RAJGARH	KHOH DARIBA	KHOH DARIBA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIBA PROJECT DIST ALWAR (216434)(08061100115)	Lecturer (I Gr.)	History	1	
23	ALWAR	RAJGARH	KHOH DARIBA	KHOH DARIBA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIBA PROJECT DIST ALWAR (216434)(08061100115)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
24	ALWAR	RAJGARH	DHEELODA	DHIRODA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHIRODA (216436)(08061100401)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
25	ALWAR	RAJGARH	GOLA KA BAS	GOLA KA BAS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOLA KA BAS (216438)(08061100917)	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1	
26	ALWAR	RAJGARH	GOLA KA BAS	GOLA KA BAS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOLA KA BAS (216438)(08061100917)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
27	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	GOTHDA	GOTHRA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOTHDA LAXMANGARH (216542)(08061307801)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
28	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	HARSANA	HARSANA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARSANA (216549)(08061310401)	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	1	
29	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	HASANPUR	HASANPUR-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HASANPUR (216526)(08061302101)	Lecturer (I Gr.)	History	1	
30	ALWAR	GOVINDGARH	INDPUR	INDPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INDPUR (216553)(08061311001)	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1	
31	ALWAR	GOVINDGARH	INTEDA	INTEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INTEDA (216548)(08061310101)	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1	
32	ALWAR	GOVINDGARH	INTEDA	INTEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INTEDA (216548)(08061310101)	Lecturer (I Gr.)	Agro Biology	1	
33	ALWAR	GOVINDGARH	INTEDA	INTEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL INTEDA (216548)(08061310101)	Lecturer (I Gr.)	Agro Chemistry	1	
34	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAIN NASIYA KE PASS RENI ALWAR (216479)(08061200128)	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1	
35	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAIN NASIYA KE PASS RENI ALWAR (216479)(08061200128)	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1	
36	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAIN NASIYA KE PASS RENI ALWAR (216479)(08061200128)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	

क0सं0	जिला	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम / वार्ड	विद्यालय	पद	विषय	रिक्त पद	विशेष विवरण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	17
37	ALWAR	RAINI	RAINI	RAINI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAIN NASIYA KE PASS RENI ALWAR (216479)(08061200128)	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1	
38	ALWAR	MALAKHEDA	JAMALPUR	JAMALPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAMALPUR MALAKHEDA ALWAR (215702)(08060810001)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
39	ALWAR	MALAKHEDA	BILANDI	KALI PAHARI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALI PAHARI (215706)(08060811001)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
40	ALWAR	MALAKHEDA	KERWA JAT	KERWA JAAT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KERWAJAT (215671)(08060717201)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
41	ALWAR	BHANOKHAR	KHEDA KALYANPURA	KHEDA KALYANPURA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDAKALYANPUR (216594)(08061404401)	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1	
42	ALWAR	BHANOKHAR	KHOH	KHOH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOH (211645)(08061412907)	Lecturer (I Gr.)	English (Compulsary)	2	
43	ALWAR	BHANOKHAR	KHOH	KHOH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOH (211645)(08061412907)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
44	ALWAR	BHANOKHAR	KHOH	KHOH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOH (211645)(08061412907)	Lecturer (I Gr.)	Sanskrit Literature	1	
45	ALWAR	RAMGARH	KHOHRA KARMALI	KHOHRA KARMALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOHDA KARMALI (215142)(08060707701)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
46	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	KHUDIANA	KHUDIYANA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHUDIYANA (216543)(08061308301)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
47	ALWAR	RAJGARH	KUNDLA	KUNDLA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDLA (216450)(08061106101)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
48	ALWAR	THANAGAZI	KYARA	KYARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KYARA (216427)(08061011901)	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1	
49	ALWAR	THANAGAZI	MEJOD	MAIJOD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAIJOD (216425)(08061011401)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
50	ALWAR	THANAGAZI	MEJOD	MAIJOD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAIJOD (216425)(08061011401)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
51	ALWAR	MALAKHEDA	MALAKEHRA	MALAKHEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAKHERA (215694)(08060808502)	Lecturer (I Gr.)	Biology (Science Stream)	1	
52	ALWAR	MALAKHEDA	MALAKEHRA	MALAKHEDA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAKHERA (215694)(08060808502)	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1	
53	ALWAR	GOVINDGARH	MALPUR	MALPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALPUR (216555)(08061311401)	Lecturer (I Gr.)	Hindi (Compulsary)	1	
54	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	NAGALKHAN JADI	NANGAL KHANJADI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANGAL KHANJADI (216528)(08061303101)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
55	ALWAR	RAMGARH	NANGALI MEGHA	NANGALI MEGHA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANGLI MEGHA RAMGARH ALWAR (215138)(08060706901)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
56	ALWAR	GOVINDGARH	NASWARI	NASWARI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NASWARI (216556)(08061311801)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	

क0सं0	जिला	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम / वार्ड	विद्यालय	पद	विषय	रिक्त पद	विशेष विवरण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	17
57	ALWAR	RAJGARH	NATHALWADA	NATHALWADA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NATHALWARA (216453)(08061106901)	Lecturer (I Gr.)	Drawing	1	
58	ALWAR	RAJGARH	NEEMLA	NEEMLA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMLA (216456)(08061107801)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
59	ALWAR	KATHUMAR	NURPUR	NURPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NOORPUR (211641)(08061410903)	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1	
60	ALWAR	RAINI	PATAN	ODPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ODPUR (227224)(08061205801)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
61	ALWAR	THANAGAZI	PADAK CHAPALI	PADAK CHAPLI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADAK CHHAPLI (216391)(08061002601)	Lecturer (I Gr.)	Physics (Science Stream)	1	
62	ALWAR	RAMGARH	PATA	PATA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PATA RAMGARH ALWAR (215147)(08060709004)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
63	ALWAR	RAMGARH	RASGAN	RASGAN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RASGAN (215659)(08060712901)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
64	ALWAR	GOVINDGARH	SEDAMPUR	SAIDAMPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAIDAMPUR (216567)(08061315801)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
65	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	SAHADKA	SHEHDKA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHAHADKA (216519)(08061300201)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
66	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	SORAI	SORAI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SORAI (216531)(08061304101)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
67	ALWAR	RAJGARH	TEHLA	TEHALA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TEHLA (216446)(08061104122)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
68	ALWAR	RAJGARH	THANA RAJAJI	THANA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA RAJAJI (216474)(08061114509)	Lecturer (I Gr.)	Home Science	1	
69	ALWAR	KATHUMAR	TIGRIYA	TIGARIYA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TIGARIYA (211642)(08061411404)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	
70	ALWAR	RAMGARH	KHOH	KHOH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VPO KHOH TEH.RAMGARH ALWAR (215131)(08060703601)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
71	ALWAR	RAMGARH	ALAWARA	ALAWADA	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ALAWADA RAMGARHALWAR (215122)(08060700101)	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Accountancy)	1	
72	ALWAR	RAMGARH	ALAWARA	ALAWADA	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ALAWADA RAMGARHALWAR (215122)(08060700101)	Lecturer (I Gr.)	Commerce (Business Studies)	1	
73	ALWAR	RAMGARH	ALAWARA	ALAWADA	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ALAWADA RAMGARHALWAR (215122)(08060700101)	Lecturer (I Gr.)	Economics (Commerce Stream)	1	
74	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	BEECHGANV	BEECHGANV	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEECHGANV (216541)(08061307601)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	

क0सं0	जिला	ब्लॉक	पंचायत	ग्राम / वार्ड	विद्यालय	पद	विषय	रिक्त पद	विशेष विवरण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	17
75	ALWAR	LAXMANGARH (ALWAR)	BEECHGANV	BEECHGANV	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEECHGANV (216541)(08061307601)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
76	ALWAR	MALAKHEDA	KHAREDA	KHAREDA	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHAREDA (215701)(08060809901)	Lecturer (I Gr.)	Political Science	1	
77	ALWAR	GOVINDGARH	KHEDA MEHMOOD	KHEDA MAHMOOD	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEDA MAHMOOD (216561)(08061313401)	Lecturer (I Gr.)	Hindi Literature	1	
78	ALWAR	RAJGARH	SAKAT	SAKAT	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKAT RAJGARH ALWAR (216454)(08061107513)	Lecturer (I Gr.)	Agriculture Science (Agriculture Stream)	1	
79	ALWAR	KATHUMAR	TASAI	TASAI	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TASAI (216589)(08061403409)	Lecturer (I Gr.)	Mathematics (Science Stream)	1	
Total								80	

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, भरतपुर

क्रमांक- मुजिशिअ/ भरत/ सामान्य/ विद्या संबल योजना/2026/3736 दिनांकः–28.08.2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां:

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

28/8/26

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण-

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा।

वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें-

टि। 28/8/26

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थाई राजकीय सेवा का आधार नहीं होंगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थाई करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी:- (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 तक (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ माँगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)

28/8/26

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

(अतुल चतुर्वेदी)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर

क्रमांकः– मुजिशिअ/भरत/सामान्य/2026/3737–3749 दिनांकः–28.08.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान महोदय, बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, भरतपुर संभाग भरतपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला भरतपुर
11. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एमआईएस कार्यालय हाजा
12. समस्त पी.ई.ई.ओ./ प्रधानाचार्य भरतपुर
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकलटी / 12226 / 2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति / आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति / आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

RajKaj Ref No.:
24275528

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष––––– प्रतिशत–––	संलग्न–1
	2. उच्च माध्यमिक	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–2
	3. स्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–3
	4. अधिस्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–5
	2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष–––––––प्रतिशत–––	संलग्न–7

10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
––
2.वर्तमान–––
––

11. मोबाईल नम्बरः––

12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **<u>वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है</u>** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

विद्या संबल योजना हेतु व्याख्याता के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROOPWAS	PM SSHRI MGGS RUDAWAL	Lecturer (I Gr.)	BIOLOGY	1	0	1
2	ROOPWAS	GSSS AUDEL GADDI	Lecturer (I Gr.)	BIOLOGY	1	0	1
3	ROOPWAS	PM SSHRI MGGS RUDAWAL	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	1	0	1
4	ROOPWAS	PM SSHRI MGGS RUDAWAL	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1
5	ROOPWAS	MGGS PAHARPUR	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	1	0	1
6	ROOPWAS	GSSS NAGLA TULA	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
7	ROOPWAS	GSSS BHAWANPURA	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
8	ROOPWAS	GSSS SIRROND	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
9	ROOPWAS	GSSS NOHARDA	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
10	ROOPWAS	MGGS DAHINA GAON	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
11	ROOPWAS	GSSS KHEDA THAKUR	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
12	ROOPWAS	PM SSHRI MGGS RUDAWAL	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1
13	ROOPWAS	GSSS MAHALPUR CHURA	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
14	ROOPWAS	PM SHRI KHAN SURJAPUR	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
15	ROOPWAS	MGGS DAHINA GAON	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
16	ROOPWAS	GSSS SHAKKARPUR	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
17	BAYANA	GSSS LAHCHORA KALA (217398)	Lecturer (I Gr.)	MATH	1	0	1
18	BAYANA	GSSS KALSADA (217367)	Lecturer (I Gr.)	BIOLOGY	1	0	1
19	BAYANA	GSSS Khutkheda (217362)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
20	BAYANA	MGGS KHOHRA (217373)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
21	BAYANA	GSSS GADI BAJNA (217377)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
22	BAYANA	GSSS PURABAIKHEDA (217349)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
23	BAYANA	GSSS PARAO (217355)	Lecturer (I Gr.)	HISTORY	1	0	1
24	BAYANA	GSSS KHARERI (217358)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
25	BAYANA	GSSS KHANKHEDA (217361)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
26	BAYANA	GSSS SINGHNIYA (217354)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
27	BAYANA	GSSS GADI BAJNA (217377)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
28	BAYANA	GSSS PURABAIKHEDA (217349)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
29	BAYANA	GSSS LAHCHORA KALA (217398)	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1
30	BAYANA	GSSS KHARERI (217358)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
31	BAYANA	GSSS KALSADA (217367)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
32	BAYANA	GSSS JASPURA MOROLI(217364)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
33	BAYANA	GSSS SONPURA TAMOLIYAN (217360)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
34	BAYANA	GSSS LAHCHORA KALA (217398)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
35	BAYANA	MGGS SALABAD (217368)	Lecturer (I Gr.)	**POLITICAL SCIENCE**	**1**	**0**	**1**

36	UCHAIN	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BARIGHA UCHAIN BHARATPUR (217435)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
37	UCHAIN	SHAHEED JAGVEER SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KURKA (217444)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
38	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JEEVAD (217314)	Lecturer (I Gr.)	Geography	1	0	1
39	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIRAS WEIR (217328)	Lecturer (I Gr.)	MATH	1	0	1
40	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIRAS WEIR (217328)	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1
41	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAHAJ (227452)	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
42	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUHASA WEIR BHARATPUR (217315)	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
43	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMOLI (217308)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
44	WEIR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NYAMADPUR (217334)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
45	NADBAI	GSSS GADAULI	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	1
46	NADBAI	MGGS BACHHAMDI	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
47	NADBAI	GSSS ARODA	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
48	NADBAI	GSSS UTARDA	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
49	NADBAI	GSSS HANTRA	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1
50	NADBAI	MGGS TALCHHERA	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
51	NADBAI	GSSS ENCHERA	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	1	0	1
52	Sewar	PM SHREE MGGS MAHNGAYA	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1
53	Sewar	GSSS IKRAN	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1
54	Sewar	MGGS PEEPLA	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1
55	Sewar	MGGS PEEPLA	Lecturer (I Gr.)	BIOLOGY	1	0	1
56	BHUSAWAR	GSSS SALEMPUR KALAN (217295)	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	1	0	1
57	BHUSAWAR	GSSS DIVLI	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
58	BHUSAWAR	MGGS PATHENA	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1
59	BHUSAWAR	MGGS PATHENA	Lecturer (I Gr.)	MATH	1	0	1
60	BHUSAWAR	PARSHURAM GSSS SALEMPUR KHURD	Lecturer (I Gr.)	MATH	1	0	1
61	BHUSAWAR	PARSHURAM GSSS SALEMPUR KHURD	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1
62	BHUSAWAR	PARSHURAM GSSS SALEMPUR KHURD	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	1	0	1
63	BHUSAWAR	PARSHURAM GSSS SALEMPUR KHURD	Lecturer (I Gr.)	AGRICULTURE I	1	0	1
64	BHUSAWAR	PARSHURAM GSSS SALEMPUR KHURD	Lecturer (I Gr.)	AGRICULTURE (	1	0	1
65	BHUSAWAR	GSSS CHAINTOLI (217320)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	**1**	**0**	**1**
66	BHUSAWAR	GSSS CHAINTOLI (217320)	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	**1**	**0**	**1**
67	BHUSAWAR	GSSS NITHAR (217286)	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	**1**	**0**	**1**
68	BHUSAWAR	GSSS NITHAR (217286)	Lecturer (I Gr.)	POLITICAL SCIENCE	**1**	**0**	**1**
69	BHUSAWAR	MGGS NITHAR	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	**1**	**0**	**1**
70	BHUSAWAR	MGGS NITHAR	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	**1**	**0**	**1**

71	BHUSAWAR	MGGS NITHAR	Lecturer (I Gr.)	GEOGRAPHY	**1**	**0**	**1**
72	BHUSAWAR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BALLABHGARH	Lecturer (I Gr.)	HINDI	1	0	**1**
73	BHUSAWAR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BALLABHGARH	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	**1**
74	BHUSAWAR	GSSS RANDHIRGARH (217288)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	**1**	**0**	**1**

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर

RajKaj Ref No.:
24284921

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर

ऑवर ब्रिज के पास, अल्कापुरी अलवर

E-mail: cdeoalwar@gmail.com, Phone No. 0144-2332363

क्रमांक : मुजिशिअ/अल/संस्थापन/फा–विघा संबल/2026–27/ दिनांकः–

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ,
अलवर ।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **विद्या संबल योजना** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में ।

प्रसंगः–श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का राजकाज पत्र क्रमांक 24275528 दिनांक 27.08.2026

श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक F–17 (10) Edu–1/Q–Edu.2022–00494–2429645 दिनांक 18.08.2026 एवं वित विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के तहत शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण इस जिले के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू बनाने एवं विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार सहिता लागू होने के कारण केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के रिक्त पदों के लिए ही सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु जारी किये गये समयबद्ध कार्यक्रम की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय सीमा में विज्ञप्ति में अंकित शर्तों की पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः– प्रांसगिक पत्र की प्रति, विज्ञप्ति एवं आवेदन फार्म।

(महेश कुमार गुप्ता)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

क्रमांक : क्रमांक : मुजिशिअ/अल/संस्थापन/फा–विघा संबल/2026–27/ दिनांकः–

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
3– श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर ।
4– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक अलवर।
5– समस्त पी.ई.ई.ओ/संस्थाप्रधान. जिला अलवर को देकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें ।
6– कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

RajKaj Ref No.:
24284995

Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-28 18:58:17 IST

v-1.0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अलवर

क्रमांकः–मुजिशिअ/अल/संस्थापन/2026/ 2168 दिनांकः 28.08.2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियां:**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईटhttps://education.rajasthan.gov.inपर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.:
24284986

Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09
IST

v-1.0

(5) **वरीयता का निर्धारण–**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **परिवेदना प्रस्तुत करनाः–**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) **विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) **अन्य शर्तें–**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

Digitally signed by MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09 IST

(9) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः—(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)**

क्र.सं.	**विवरण**	**दिनांक**
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉं मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03—03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओविद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर अलवर।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक , अलवर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अलवर।
6. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

RajKaj Ref No.: 24284986

Digitally signed by MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09 IST

v-1.0

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091   दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

v-1.0

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः– 1. माध्यमिक वर्ष––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता 1. बी.एड. / समकक्ष वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
   2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–6
9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष––––––प्रतिशत–––संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
    ––
    2.वर्तमान––
    ––
11. मोबाईल नम्बरः––
12. जाति वर्ग–––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12व13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायीराजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियां)एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है**तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645   जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागो में शिक्षण कार्यो मे शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3 संबंधित सेवा नियमो मे अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियो का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड– III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड– II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड– I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, समस्त अति मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, हनुमानगढ़

क्रमांक: मुजिशिअ / संस्था / हनु / वि०स० / 2026–27 /   दिनांक:

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयो मे शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यासंबल योजना के अन्तर्गत श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस न0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम मे माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों मे शिक्षकों के रिक्त पदो पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णत अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबधित सेवा नियमो मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप मे सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप मे लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयो को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप मे लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम मे अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियां:**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप मे विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिश: विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

RajKaj Ref No.:
24284804

(ब) कार्यक्रम एवं समय सारणी:– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ माँगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, हनुमानगढ़

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, हनुमानगढ़।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को भेजकर लेख है की संदर्भित पदो की स्पष्ट रिक्ति दिंनाक 31.08.2026 पूर्व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे एवम दी गई विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करे
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा., हनुमानगढ़।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला हनुमानगढ़। को भेजकर लेख है की संदर्भित पदो की रिक्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 31.08.2026 से पूर्व चस्पा करे साथ ही रिक्ति पदो की सूचि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ़ एवम एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यलय में तत्काल भिजवाना सुनिस्चित करे
7. समस्त पी.ई.ई.ओ. / प्राचार्य, राजकीय उ. मा. वि. / मा. प. स., जिला हनुमानगढ़।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
24284804

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, हनुमानगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा, अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक कोटपूतली–बहरोड

क्रमांकः–जिशिअ/मुमाशि/कोट–बह/संस्था–I/फा–विद्या संबल/प्रथम चरण /2026/ दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
जिला–कोटपूतली–बहरोड ।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **विद्या संबल योजना** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में ।

प्रसंगः–श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का राजकाज पत्र क्रमांक 24275528 दिनांक 27.08.2026

श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकF-17(10)Edu-1/Q-Edu.2022-00494-2429645 दिनांक 18.08.2026 एवं वित विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के तहत शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण इस जिले के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू बनाने एवं विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार सहिता लागू होने के कारण केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में **प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के** रिक्त पदों के लिए ही सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु जारी किये गये समयबद्व कार्यक्रम की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र में प्रभाव मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय सीमा में विज्ञप्ति में अंकित शर्तों की पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः– प्रांसगिक पत्र की प्रति, विज्ञप्ति एवं आवेदन फार्म

(नन्दराम मीना)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, कोटपूतली–बहरोड

क्रमांकः–जिशिअ/मुमाशि/कोट–बह/संस्था–I/फा–विद्या संबल/प्रथम चरण /2026/ दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटपूतली–बहरोड ।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर ।
4. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान जिला– कोटपूतली–बहरोड ।
5. कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, कोटपूतली–बहरोड

RajKaj Ref No.:
24284399

Digitally signed by NAND RAM MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-28 09:47:32 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक, कोटपूतली–बहरोड

क्रमांकः जिशिअ/मुमा/कोट–बह/संस्था–I/फा–विद्या संबल/प्रथम चरण/2026 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पक्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में कोटपूतली–बहरोड जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतःअस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षकगेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) **रिक्तियांः**

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त पद **आईएफएमए** पर स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है

(3) **रिक्तियों का प्रकाशन–**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईटhttps://education.rajasthan.gov.inपर किया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया–**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.: 24284400

Digitally signed by NAND RAM MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-28 09:46:31 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

(5) **वरीयता का निर्धारण–**

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) **परिवेदना प्रस्तुत करनाः–**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा कोटपूतली–बहरोड जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को श्रीमान जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) **विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–**

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टामानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) **अन्य शर्तें–**

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

Scanned with OKEN Scanner

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) **कार्यक्रम एवं समय सारणीः—(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों की आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03—03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

(नन्दराम मीना)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक, कोटपूतली—बहरोड

क्रमांकः जिशिअ/मुमा/कोट—बह/संस्था—I/फा—विद्या संबल/प्रथम चरण/2026 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. जिला कलक्टर महोदय कोटपूतली—बहरोड।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक कोटपूतली—बहरोड।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला—कोटपूतली—बहरोड।
9. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य जिला—कोटपूतली—बहरोड ।
10. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक, कोटपूतली—बहरोड

RajKaj Ref No.: 24284400

Digitally signed by NAND RAM MEENA
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-28 09:46:31 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर</u>

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **<u>प्रथम चरण</u>** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **<u>प्रथम चरण</u>** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः—

2. पिता का नामः—

3. आवेदित विद्यालय का नामः—

4. आवेदित पद का नामः—

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः—

6. जन्म तिथिः—

7. शैक्षणिक योग्यताः—
   1. माध्यमिक वर्ष————— प्रतिशत——— संलग्न—1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न—2
   3. स्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न—3
   4. अधिस्नातक वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न—4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता
   1. बी.एड./समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न—5
   2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष———————प्रतिशत——— संलग्न—6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)— रीट,उत्तीर्णता वर्ष———————प्रतिशत———संलग्न—7

10. निवास का पताः—
    1. स्थाई——
    ——
    2.वर्तमान——
    ——

11. मोबाईल नम्बरः——

12. जाति वर्ग———————————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न—8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न—9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न—10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न—11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न—12व13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि—चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायीराजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची—संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियां)एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है**तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :— विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :— शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा—निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
मुख्य सचिव
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

RajKaj Ref No.: 24116683

Scanned with OKEN Scanner

(3)

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागो में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमो मे अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f 1.2.2021

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, .जैसलमेर

क्रमांकः 674 दिनांकः 28.08.26

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Kumar Bissa
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 11:52:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284489

M e-Sign

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	**पद**	**कक्षा**	**प्रति घण्टा मानदेय**	**अधिकतम मासिक मानदेय**
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

RajKaj Ref No.: 24284489
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Kumar Bissa
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 11:52:12 IST
Reason: Approved

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जायेगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जायेगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षैत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्रस	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों को प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपतियां मांगना**	10.09.2026 (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों के आपतियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 3—3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	12.09.2026 (दोपहर 01 बजे तक)
7	पीईईओ विद्याालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	12.09.2026 (सायं 05 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची इस कार्यालय में जमा करवाना	14.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
9	जिला स्तरीय चयन कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 05 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 पीएम तक)

(महेश कुमार बिस्सा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जैसलमेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर जैसलमेर।
4. श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, जयपुर।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग जोधपुर, जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक जैसलमेर
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला जैसलमेर।
11. समस्त पीईईओ/प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय जिला जैसलमेर।
12. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु.........................।
13. रक्षित प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जैसलमेर

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Kumar Bissa
Designation : Chief District Education Officer
Date: 2026.08.28 11:52:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284489
M e-Sign

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकलटी / 12226 / 2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति / आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति / आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक का नामः–		
2.	पिता का नामः–		
3.	आवेदित विद्यालय का नामः–		
4.	आवेदित पद का नामः–		
5.	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–		
6.	जन्म तिथिः–		
7.	शैक्षणिक योग्यताः–	1. माध्यमिक	वर्ष–––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
		2. उच्च माध्यमिक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
		3. स्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
		4. अधिस्नातक	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–4
8.	प्रशैक्षणिक योग्यता	1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
		2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–6
9.	वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)–	रीट,उत्तीर्णता	वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–7

फोटो

10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
––
2.वर्तमान––
––

11. मोबाईल नम्बरः––

12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645   जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :— विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :— शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा—निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.:
24116683

(3)

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर, दिनांक 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागो में शिक्षण कार्यों मे शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एव विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने मे लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमो मे अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप मे लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबधित सेवा नियमों मे अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियो का परिपत्र में वर्णित दरो पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor Main Building Government Secretariat Jaipur (Raj.) 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail: ssfgfcr.rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f. 1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तो का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैने..............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तो की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी भूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बीकानेर

ईमेलः–cdeo.bikaner.dse@rajasthan.gov पता :– नई डाईट परिसर, पूगल मार्ग, बीकानेर

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/बीका/विद्या संबल योजना/2026/ दिनाँक : यथा हस्ताक्षर

सार्वजनिक सूचना

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महादेय के पत्र क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24116683) दिनाँक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनाँक 30.03.2021 एवं श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फैकल्टी/12226/2024–25528–5729091 (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24275528) दिनाँक 27.08.2026 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापक (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों पर **"विद्या संबल योजना"** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **"गेस्ट फैकल्टी"** के रूप में **(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)** पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यातएँ/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएँ –

क्र. स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

नोट :–

I. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
II. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
III. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
IV. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
V. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां–

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जायेगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन –

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों को प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in** पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया –

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण –

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना –

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी –

क्र. स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय –

विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय नियमानुसार दिया जायेगा –

क्र. स.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रूपये	30,000 रूपये

RajKaj Ref No.:
24284542

(8) अन्य शर्ते –

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाए चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

V. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

VI. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर) –

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>विवरण</th><th>दिनाँक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन</td><td>29.08.2026</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)</td><td>31.08.2026</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि</td><td>01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)</td><td rowspan="4">08.09.2026 से 12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।</td><td>14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)</td></tr>
</table>

RajKaj Ref No.: 24284542

9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(डॉ. अरूण कुमार)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बीकानेर

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/बीका/विद्या संबल योजना/2026/ **दिनाँक : यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बीकानेर।
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष विद्या संबल योजना, जिला परिषद्, बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/प्रारम्भिक, बीकानेर।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला – बीकानेर।
8. समस्त पीईईओ, जिला – बीकानेर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बीकानेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सिरोही

क्रमांक-मुजिशिअ/सशि/सिरोही/शैप्र/2026/401 दिनांक यथा हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2329645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित (सामान्य वितीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए-

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः-

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यनूतम वांछित योग्यता अर्जित की हो ।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां:

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

RajKaj Ref No.: 24284761
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by M...ndra Kumar Naniwal
Designation : ...Education Office
Date: 2026.08.... :44:48 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

(3) रिक्तियों का प्रकाशन-

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajsthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया-

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण-

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा । वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा । **सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा।** सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा ।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः-

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओ को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

Signature valid
Digitally signed by M ndra Kumar Naniwal
Designation : tr Education Officer
Date: 2026.08.2 :44:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284761
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

(8) अन्य शर्तें-

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः-(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04.00 बजे तक)

RajKaj Ref No.: 24284761
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]ndra Kumar Naniwal
Designation : [illegible] Education Officer
Date: 2026.08.[illegible]:44:48 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉं मांगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों की आपतियॉं के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक (रिक्त पद के विरूद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 5.00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 PM तक)

(महेन्द्र कुमार नानीवाल)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सिरोही
दिनांक यथा हस्ताक्षरित

क्रमांक-मुजिशिअ/सशि/सिरोही/शैप्र/2026/401

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1- श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सिरोही ।
3- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही ।
4- श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा पाली संभाग, पाली ।
5- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही ।
6- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा जिला सिरोही को पालनार्थ ।
7- समस्त पीईईओ/प्रधानाचार्य (ग्रामीण क्षेत्र), जिला सिरोही को पालनार्थ ।
8- कार्यालय प्रति

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सिरोही

Signature valid

Digitally signed by M...ndra Kumar Naniwal
Designation ...Education Officer
Date: 2026.08....:44:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24284761
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

नवीन शिक्षा निर्देश

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिनांक यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयो में प्राध्यापकों के रिक्त पदो पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदो पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नही किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. सयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST

RajKaj Ref No.:
24275528

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने................................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

		फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः–

1. माध्यमिक	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–1
2. उच्च माध्यमिक	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–2
3. स्नातक	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–3
4. अधिस्नातक	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता

1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–5
2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष---------	प्रतिशत----	संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष---------प्रतिशत---- संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई--

2.वर्तमान--
----
11. मोबाईल नम्बरः--
12. जाति वर्ग-----------प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नही होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner